बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिला अन्तर्गत हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में दिनांक- 30.12.2014 को अपराधियों ने बच्चा राय की हत्या कर दी थी। इसमें हाजीपुर नगर कांड संख्या- 1125/14 दर्ज की गई। इस कांड के पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक- 405/15 को पर्यवेक्षण टिप्पणी निकाला गया तथा आरक्षी अधीक्षक वैशाली ने घटना को सत्य पाते हुए मुख्य आरोपियों को अविलम्ब गिरफ्तार करने तथा छः अन्य बिन्दुओं पर जांच कर अन्य अभियुक्तों को ठोस साक्ष्य के लिए गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इस कांड में 18 साक्षियों के बयान भी दर्ज हैं। लेकिन घटना के 2 वर्ष से अधिक होने के अधिक होने के बावजूदन आज तक किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे आम जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है।

अतः इस संबंध में सरकार से हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में दिनांक- 30.12.2014 को अपराधियों द्वारा बच्चा राय की हत्या में शामिल अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी करने एवं पीडित परिवार को न्याय दिलाने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 36/2017 - 255 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 13.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 02.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

13.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्य तथा धारा 47 एवं धारा 73 के अन्तर्गत क्रमश: पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है जिसमें 29 विभाग के कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के माध्यम से पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष दिनांक- 20.02.2013 में ही उपलब्ध कराई गई है। लेकिन अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं किया गया है जिसके कारण एक पंचायत सेवक कई पंचायत में कार्य करते हैं। पंचायतों में विकास कार्य बाधित हो रहा है। जिला परिषद् सदस्य पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य का चुनाव पंचायती राज विभाग द्वारा होता है लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए निधि नहीं दिया जाता है फिर इन पदों पर सरकार को चुनाव कराने का क्या औचित्य है। त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधियों को नियत (मासिक) भत्ता, महंगाई को देखते हुए बढ़ाया जाए साथ ही सेवा निवृत्त के उपरांत पेंशन दिया जाए।

अत: मैं सरकार से इस संबध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राधाचरण साह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 38/2017 - 263 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 14.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 02.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 14.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत में राज्य योजना/ RMSA अन्तर्गत 2009-2015 तक 153 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है। जिसमें RMSA द्वारा 39 उत्क्रमित विद्यालयों में पद सृजित है। राज्य योजना अंतर्गत 114 उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक शिक्षकों के पद का सृजन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। जबकि शिक्षा विभाग के पत्रांक- 1648, दिनांक- 27.08.2015 में अंकित है कि पद सृजन के उपरांत ही नियोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, गया, छपरा, सीवान, औरंगाबाद, मधुबनी एवं मधेपुरा इत्यादि जिलों में शिक्षकों का पद सृजन कर नियोजन की कार्यवाही की जा रही है। पश्चिमी चम्पारण जिले के 114 उत्क्रमित माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं कर उपेक्षित किया गया है।

अतएव पश्चिमी चम्पारण जिला के शेष 114 उत्क्रमित माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक का पद सृजन करने एवं नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का नियोजन करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजेश राम,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 37/2017 - 256 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 13.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 02.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

13.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

इसी वर्ष राज्य में हुई अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से गया जिला के प्रखंड- इमामगंज, पंचायत- नौडीहा, ग्राम- रोहवे में लब्जी नदी द्वारा सड़क को काट दिया गया है जिससे ग्राम- कोसवां, बारा, नगवां जैसे दर्जनों गांव का कटाव के कारण आवागमन बाधित है। ज्ञातव्य है कि उक्त सड़क झारखंड राज्य को भी जोड़ती है। उपर्युक्त गांवों से सम्पर्क हेतु आधा कि.मि. से 5-6 कि.मि. तक दूरी तय करनी पड़ती थी। वर्तमान में यह 5 से 15 कि.मि. की दूरी तय करनी पड़ती है। कटाव के कारण सड़क के किनारे बने पईन जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचित होती थी असिंचित हो गयी है। बांध की मरम्मति नहीं होने से बांध के अस्तित्व पर भी खतरा है।

अत: उक्त स्थल पर नदी में तटबंध की मरम्ति एवं बांध की उंचाई 2 फीट बढ़ाने एवं क्षतिग्रस्त फाटक की मरम्मति के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- उपेन्द्र प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 35/2017 - 262 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 14.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जल संसाधन विभाग, बिहार/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 02.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

14.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।